

विधान सभा प्रश्न

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| विभाग का नाम | : | वन विभाग |
| प्रश्न संख्या अतारांकित | : | 1239 |
| उत्तर की तिथि | : | 17.09.2020 |
| विषय | : | एफ0आर0ए0 नियमों का सरलीकरण |
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री जिया लाल (भरमौर) |
| सम्बन्धित मंत्री | : | वन मन्त्री |

| प्रश्न | उत्तर |
|---|-------------------------------|
| सरकार कार्यालयों, भवनों, सड़कों व अन्य विकासात्मक कार्यों में एफ0आर0ए0 नियमों को सरल करने का विचार रखती है; यदि हां, तो ब्यौरा दें? | सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। |

माननीय विधायक श्री जिया लाल (भरमौर) द्वारा पूछे गए अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 1239 से सम्बन्धित सूचना।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत एक हैक्टेयर तक वन भूमि पर 13 विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए, जिनमें सड़कें भी सम्मिलित हैं, वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुमोदित करने के लिए वन मण्डलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत सरकार का कानून है। अतः इस कानून में प्रदेश सरकार के स्तर पर नियमों को सरल करना सम्भव नहीं है।